XIV

दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 23 सितम्बर, 1998 को सांय 6.00 बजे दिल्ली जल बोर्ड के सभागार वरुणालय फेज–द्वितीय में हुई चौदहवीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1.	श्री राजेन्द्र गुप्ता, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	उपाध्यक्ष
2.	श्री बालेश्वर राय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य, दि0ज0बोर्ड
3.	श्री दीप चन्द बन्धु, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	–तदैव–
4.	श्री गौरी शंकर भारद्वाज, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	–तदैव–
5.	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	–तदैव–
6.	श्री आर. सी. वर्मा, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	–तदैव–
7.	श्री छन्नू मल, सदस्य, दिल्ली छावनी	–तदैव–
8.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	–तदैव–

बैठक की अध्यक्षता श्री राजेन्द्र गुप्ता, उपाध्यक्ष ने की ।

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 16.9.98 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और हस्ताक्षर किये गये ।

संकल्प संख्या 135
मद संख्या 137 नांगलोई सैयद में 40 मि.गै.दै. क्षमता के अवजल पम्पिंग स्टेशन से निलोठी अवजल उपचार संयत्र तक प्रस्तावित प्रस्तर के साथ 1200 मि.मी. व्यास के पी.एस.सी./एच.एस. (स्टील सिलैण्डर रिनफोर्समैंट पाइप) जुड़वाँ मुख्य लाइन को बिछाना और जोड़ना ।

मुख्य अभियंता (सी) द्वितीय के पत्र क्रमांक दि0ज0बोर्ड/तक0/98/90 दिनांक 18.9.98 में दिए गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् औचित्यपूर्ण दरों के निर्धारण की जाँच रिर्पोट को रिकार्ड करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

संकल्प संख्या 136
मद संख्या 138 दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बेची जाने वाली खाद की दरों में वृद्धि ।

मुख्य अभियंता (एस.डी. डब्लू) के पत्र क्रमांक दि0ज0बोर्ड/तक0/98/91 दिनांक 18.9.98 में दिए गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् इस निर्देश के साथ वापस किया गया कि इसकी दोबारा जाँच करके बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

कृ0प0उ0

संकल्प संख्या 137

मद संख्या 139 दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों में 2000 गहरे हैण्ड पम्प को बोर करना और लगाना । (बैठक में परिचालित)

मुख्य अभियंता (सी) प्रथम के पत्र क्रमांक दि0ज0बोर्ड/तक0/98/92 दिनांक 23.9.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् यह संकल्प किया गया कि विभागीय अनुमान से 25% एवं 20% अधिक की दर पर क्रमशः एल्यूवियल एवं पथरीली सतह के भीतर गहरे हैण्ड पम्प बोर करने एवं लगाने का कार्य फर्मों की क्षमता के अनुसार खुली बातचीत के आधार पर आबंटित किया जाए । यदि उपरोक्त दरों पर कार्य करने हेतु फर्मों की तरफ से सकारात्मक रुझान नहीं प्राप्त होता तो उस दशा में अनाधिकृत बस्तियों में पानी की अत्याधिक कमी को तत्काल पूरा करने हेतु विभागीय औचित्यपूर्ण दर से 5% तक ऊपर की दर पर कार्य को आबंटित करने की कार्यवाही को शीघ्र पूरा किया जाये ।

बोर्ड की बैठक में अन्य मुद्दों पर किये गए विचार और निर्णय निम्न प्रकार हैं ।

1. गुलाबी बाग व वजीरपुर जे.जे. कालोनी में पानी के दबाब को बढाने के लिए मुख्य अभियंता (सी) प्रथम द्वारा शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जाये ।

2. भागीरथी सोसाइटी में पानी की 2" लाइन को 4" लाइन में बदलने के लिए मुख्य अभियंता (सी) प्रथम द्वारा नियमों के आधार पर कार्यवाही की जाये ।

सचिव

अध्यक्ष
दिल्ली जल बोर्ड

....